तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमाल खां बनाम राणाराम वगैरा धारा 188, प्रकरण सख्या 60/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी सख्या 1 के रूप मे सयोजित किया है कि खेत खसरा नम्बर 593 रकबा 39 बीधा 13 बिस्वा अर्थात 6.4183 हैक्टर भूमि मौजा नन्दवान तहसील लूणी मे आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से दिनांक 03.08.2022 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से रकबा 4 बीधा भूमि खरीद की है जो बेचान नामा उप पंजियक लूणी के समक्ष निष्पादित किया गया है वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत अवैध रूप शून्य घोषित करने बेचाननामा एव स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है उक्त वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्रधिकार नही है। मात्र सिविल न्यायालय को ही सुनने का अधिकार है इस कारण वाद को बाड बाई लॉ होने के कारण इसी स्टेज पर वादी का वाद खारिज करने योग्य है एव प्रतिवादीगण संख्या 2 उमरदीन को वादी ने पक्षकर मुकदमा बनाकर बेचाननामा निरस्त करने का वाद प्रस्तुत किया है जबकि बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 2 ने ही प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे बेचाननामा निष्पादित करवाया है इस आधार पर भी वादी का वाद निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया प्रतिवादी अधिववक्ता द्वारा बताया कि उक्त वाद को माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है प्रतिचादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरे पेश की गई जो निम्न है.01.2016(2)RRT1360,02-201(1)RRT720 03-2009 (2)RRT882, 04-2020(1)RRT271Relird , 05-2001(2)RRT 1252,06. 2021. (1)RRT27 07.2014(1)RRT 534 इनके आधार पर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाने का निवेदन किया गया । अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे वादीगण की ओर से जबाव पेश किया गया जिसकी नकल प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया गया जो सही है वादी ने उपरोक्त वाद प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे फर्जी एव कूटरचित बेचाननामा को अवैध एव शून्य घोषित करवाने हेतु पेश किया जा जिसे वाद शुन्य ही मान कर घोषणा चाही है जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का हे तथा तथाकथित बेचाननामा विधिक प्रावधानो के विपरीत है जिसे शून्य मानकर वादी घोषणात्मक डिकी प्राप्त करवाने का अधिकारी है इन परिस्थितियो मे वादी का वाद किसी भी रूप मे विधि द्वारा वर्जित नही माना जाता है एव क्षैत्राधिकार का बिन्दु आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के अन्तर्गत नही आता है एव वादी को प्रतिवादीगण	

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

	के विरूद्व वाद करण उत्पन्न हुआ है जिसका अभिकथन वाद पत्र मे किया है इस कारण वादी का वाद सही रूप मे पेश किया गया है तथा वादी ने बेचाननामा शुन्य है तथा तथाकथित फर्जी बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नही देता है जिसे किसी भी रूप मे निरस्त करवाना आवश्यक नही है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद को लम्बा करने के नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया वादी अधिववक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया । पत्रावली मे बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एव जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष ने अपने बहस मे प्रार्थना पत्र/जबाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य /तथ्यो के अभाव मे वादी का वाद खारिज किया जाने योग्य प्रतीत नही है अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली वास्ते आग्रीम कार्यवाही हेतु दिनाक 20.11.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
20/11/23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17/01/2024 को पेश हो।
17/01/24 LTI वादी LTI प्रतिवादी पहचानकर्ता	पत्रावली आज पेशी पर ली गयी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विदड्राल पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि वादी वाद को आगे नही चलाना चाहता है वादी वाद को जरिये विदड्राल खारिज किये जाने का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाता है वादी का वाद जरिये विदड्राल खारिज किया जाता है पत्रावली पेश बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।